No. F-24013/1/09-CDN/
Government of India
Ministry of Urban Development
Land and Development Office
Nirman Bhawan, New Delhi

Dispatch No. 178 /09-CDN Dated 7/5/10

Office Order No 3 / 10

Sub:-Land rates for Allotment/transfer of central govt. land outside Delhi.

The Central Government allots/transfers its land outside Delhi to various Government Departments. For such inter-departmental allotments/transfer, the Government has decided to charge the land rates the same as the Stamp duty rates/Circle rates as notified by the concerned State or Union Territory for that particular category/area where the land is situated, on the date of such transfer/allotment.

In the cases where such rates are not available, the land rates as applicable for Delhi will be charged. These rates will be used for fixing the land premium and Ground Rent . For Lease Administration/Revision of Ground Rent at any subsequent stage, such rates applicable on the date of taking a decision will be applied.

Singh.
(Surendra Singh)
Dy. Land & Development Officer

To,

1. All Ministries of Central Government
2. Chief Secretary, GNCTD
3. All Officers/Sections of L&DO
2. NIC for publishing on the L&DO web-site.

सं.-एफ-24013/1/2009-समन्वय
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

डिस्पैच सं. 178/09-समन्वय दिनांक 7/5/10

कार्यालय आदेश संख्या 3/2010

विषयः दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार की भूमि के आवंटन/अंतरण के लिए भूमि की दरें ।

केन्द्र सरकार दिल्ली से बाहर की अपनी भूमि को विभिन्न सरकारी विभागों को आबंटित करती है । इस प्रकार के विभागीय आबंटन/अंतरण के लिए सरकार ने भूमि की उन्हीं दरों को लेने का निर्णय लिया है जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्टैम्प डयूटी दरें/सरकिल दरों के रुप में उस विशिष्ट श्रेणी/क्षेत्र के लिए अधिसूचित की हैं, जहां ऐसे स्थानान्तरण/आबंटन की तारीख को वह भूमि स्थित हो ।

जिन मामलों में दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां दिल्ली में लागू दरें ली जाएंगी । इन दरों को भूमि प्रीमियम तथा ग्राउंड दरें निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । आगे किसी भी स्तर पर लीज प्रशासन/ग्राउंड किराए में संशोधन के लिए निर्णय लेने की तारीख को लागू दरें ही लागू की जाएंगी ।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप-भूमि एवं विकास अधिकारी

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय
2. मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी.डी.।
3. गार्ड फाइल ।
4. एन.आई.सी., एल.डी.ओ. साइट पर अपलोड करने के लिए ।